6.6.25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि ग्राम नवाब के खिलाफ हीला खसरा नम्बर 149/0.33, 173/0.68 व 179/0.56 की आराजी प्रार्थीगण की पुश्तैनी है। किन्तु रकबा रिकार्ड में प्रार्थीगण का नाम दर्ज नहीं होने के कारण अप्रार्थी द्वारा अप्रार्थी द.ज के पक्ष में विक्रय कर दिया है जिसका नाम भी खाता के नाम हो गया है जिस कारण प्रतिवादीगण प्रार्थी के मौलिक कास्त में दखलअंदाजी कर रहे हैं व अपना हक्कदखल करने पर आमादा हैं अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

उभयपक्ष को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया। मौके पर वाद बहुलता रोकने के उद्देश्य से व प्रार्थी के कथनों पर विश्वास करते हुए अप्रार्थीगण को धारा अंतरिम आज्ञप्ति निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी तक पाबन्द किया जाता है कि मौके व रकबा रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखें। वकील प्रार्थी को अप्रार्थी द.ज का नोटिस अप्रार्थी को जवाब हेतु भेजा जाता है। दिनांक 1.8.25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद

6/6/2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.29 15:31:08 IST
Reason: SelfAttested

4.7.25 मुलाहिजा पत्रावली। (6) नोटिस जारी किया गया। पुश्तैनी खाता, पत्रावली 2 माह से कम है व दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद